

प्रेस नोट थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर दिनांक 22.10.2024

हत्या का प्रयास करने के आरोप में 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अदद तमंचा व 01 अदद खोखा कारतूस बरामद किया गया

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी बांसगांव के निर्देशन में थानाध्यक्ष बांसगांव के नेतृत्व में उ0नि0 राकेश कुमार पाण्डेय मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 675/2024 धारा 126(2),351(3),109 भा0न्या0सं0 व बढोतरी धारा 3/25 आर्म्स एक्ट से संबंधित अभियुक्त अशोक कुमार यादव पुत्र सबरु उर्फ वकील निवासी पिपराईच आज्ञा थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अदद तमंचा व 01 अदद खोखा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी/गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की गयी। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा को पुरानी रंजीश को लेकर जान से मारने की धमकी देना व जान से मारने की नियत से तमंचे से फायर करने के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

अशोक कुमार यादव पुत्र सबरु उर्फ वकील निवासी पिपराईच आज्ञा थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण -

मु0अ0सं0 657/2024 धारा 126(2),351(3),109 भा0न्या0सं0 व बढोतरी धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर

बरामदगी-

एक अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर व 1 अदद फायरशुदा खोखा कारतूस

गिरफ्तारी की टीम-

1. उ0नि0 राकेश कुमार पांडेय थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर
2. कां0 संजय यादव थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर
3. कां0 अनिल यादव थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर